न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी(आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 144/2017

उनवान

1 लादूराम पुत्र सवाई जाति जाट निवासी ग्राम हरपुरा तहसील सरवाड, अजमेर।
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. चम्पा देवी पत्नी महेन्द्र
2. रामेश्वर पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम गादेरी, नसीराबाद
राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 11.9.18

वादी ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गादेरी के वंर्किग खसरा नम्बर 85 मिन रकबा 2–0–0 हाल खसरा नम्बर 105/2861 रकबा 0.32 की आराजी वादी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 3.10.16 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 294 दिनांक 9.12.06 द्वारा वादी का नाम वंर्किग जमाबंदी में दर्ज किया गया। किन्तु दौराने बंदोबस्त उक्त आराजियात बिना किसी न्यायालय आदेश के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने अधिकारो से परे जाते हुये त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी। अतः हाल खसरा नम्बर 105/2861 रकबा 0.32 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब नही पेश किया व जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 85 मिन रकबा 2–0–0 से संबधित तथ्य वंर्किग जमाबंदी अनुसार सही है। एवं नामान्तरकरण संख्या 294 सबंधित तथ्य सही है। उक्त आराजी भू संशोधन के पश्चात मिसल में सिवायचक दर्ज हुयी है। वादी का वाद खारिज योग्य है।
वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाधक तय किये गये :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज नही थी व वादी की विधिक क्रय शुदा है ?
–– वादी
2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी वादग्रस्त सम्पदा पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है?
–– वादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 5 राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किया। एवं वादी का शपथ पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

––2

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रतिवादी व राज0 पैरोकार ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस कथन किया कि वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी मूल खातेदारों की खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें विरासत व विक्रय पत्रो के नामान्तकरण का इन्द्राज किया गया। उक्त वंर्किग जमाबंदी कई वर्षो तक चलन में रही इसके बावजूद हाल राजस्व अभिलेख में बिना किसी आदेश के उक्त कयशुदा आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। भूमि किस कारण से सिवायचक दर्ज की गयी यह राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में स्पष्ट नही किया है। अतः वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने बहस में कथन किया कि वादी द्वारा उक्त आराजी का पूर्ण हिस्सा क्रय नही किया है, नामान्तकरण में हिस्सा भी स्पष्ट नही है। वादी द्वारा उक्त नामान्तरकरण की अपील नही की है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वंर्किग जमाबंदी में खाता संख्या 6 में वंर्किग खसरा नम्बर 85 मिन रकबा 2-0-0 कल्याण पुत्र काना कौम जाट के नाम खातेदारी दर्ज था। नामान्तकरण संख्या 265 से कल्याण की मृत्यु होने से उक्त खाते की आराजी पर कल्याण के स्थान पर सुवालाल, चतुर्भुज, मोतीलाल, रामेश्वर पि0 कल्याण का नाम दर्ज हुआ। जिससे स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर 4 खातेदारो के नाम दर्ज था। नामान्तकरण संख्या 146 दिनांक 21.12.01 से चतुर्भुज की विरासत उक्त खाते में दर्ज हुयी। सुवालाल स्वयं व चतुर्भुज के 5 वारिसों द्वारा उक्त आराजी में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान कर दिया था। जिसकी पालना नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 6.9.04 द्वारा राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दी गयी। वंर्किग जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने 4 मूल खातेदारों में से 2 मूल खातेदार/5 वारिसान का हिस्सा क्रय किया था। वादी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र आराजी मुतनाजा में मूल खातेदार रामेश्वर (प्रतिवादी संख्या 2) व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा क्रय किया था। जिसकी पालना राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 294 दिनांक 9.12.06 से की गयी। चतुर्भुज के कुल 7 वारिसान में से 5 वारिसरन द्वारा भूमि विक्रय की गयी अर्थात 5/28 भूमि का बैचान किया गया। एवं सुवालाल व रामेश्वर प्रत्यके का 1/4 हिस्सा भी विक्रय किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी ने उक्त आराजी में से 19/28 हिस्से क्रय कर लिये थे। वादी का विक्रय पत्र पंजीकृत है। जिसकी सत्यता से इंकार नही किया सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में जवाब पेश नही किया है। राज0 पैरोकार का कथन है कि वादी द्वारा आराजी मुतनाजा का पूर्ण हिस्सा क्रय नही किया था। जो उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व वंर्किग जमाबंदी में दर्ज समस्त इन्द्राज से स्पष्ट है कि 4 मूल खातेदारो में से मोहनलाल पुत्र कल्याण व चतुर्भुज के 2 वारिसो का हिस्सा वादी ने अथवा प्रतिवादी संख्या 1 ने क्रय नही किया है। शेष खातेदारो द्वारा अपना हिस्सा विधिवत तरीके से विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज व साक्ष्य आदि पेश नहीं किये है। जबकि वादी ने साक्ष्य व दस्तावेज से सिद्व किया है कि आराजी मुतनाजा उकी विधिवत कयशुदा है। अतः तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा का अंकन वादी की खातेदारी में था। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार उसके द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 86 मिन, 85 मिन रकबा 0-10-10 व 85 मिन रकबा 2-0-0 क्रय किया था। खसरा नम्बर 86 के हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.15 व 107 रकबा 0.55 बने है। व खसरा नम्बर 85 मिन रकबा 0-10-10 के हाल खसरा नम्बर 106/2660 व खसरा नम्बर 85 मिन रकबा 2-0-0 के हाल खसरा नम्बर 105/2861 रकबा 0.32 बने है। हाल खसरा नम्बर 106, 107 व 106/2660 नवीन राजस्व अभिलेख में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। किन्तु हाल खसरा नम्बर 105/2861 रकबा 0.32 को सिवायचक दर्ज कर दिया। वंर्किग खसरा नम्बर 85 का शेष रकबा हाल खसरा नम्बर 106/2660 खातेदार में दर्ज है जबकि उसी खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 105/2861 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा भी प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि उक्त आराजी किस नामान्तकरण अथवा आदेश से सिवायचक दर्ज की गयी। वर्किग जमाबंदी में जो इन्द्राज है उसी के अनुरूप अन्य खसरा नम्बर का इन्द्राज जब बंदोबस्त विभाग द्वारा किया गया है तो मात्र खसरा नम्बर 105/2861 का इन्द्राज बिना कारण परिवर्तित करना न्यायोचित नही है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में हाल इन्द्राज को विधिवत सिद्व करने हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज थी पेश नही किये है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। किन्तु आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार मोतीलाल पुत्र कल्याण व चतुर्भुज के

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2 वारिसों द्वारा अपना हिस्सा विक्रय नही किया है। अतः वादी आराजी मुतनाजा के 28 हिस्से रकबा 0.32 में से 19/28 रकबा 0.22 पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम गादेरी के हाल खसरा नम्बर 105/2861 पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादी को उक्त खसरा नम्बर के 0.22 है0 रकबे का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद